

कार्यालय

मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता

बिरसा मुण्डा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय शहडोल (म.प्र.)

क्रमांक/स्था.अराज/एम.सी./2022/.....

शहडोल, दिनांक.19./12./2022

// अनापत्ति प्रमाण पत्र //

बिरसा मुण्डा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय शहडोल मे कार्यरत् कर्मचारियों से प्राप्त आवेदन पत्रों के आधार पर म.प्र. शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय के पत्र क्रमांक एफ-एफ /2/57/2018/55-1 दिनांक 30 सितम्बर 2018 में वर्णित बिंदु-1 से 4 तक के नियम के अंतर्गत आपसी सहमति से पारस्परिक अदला -बदली के आधार पर नवीन नियुक्ति के लिए आवेदन करने हेतु निम्न शर्त पर अनापत्ति प्रमाण - पत्र निम्नानुसार जारी किया जाता है।

क्रं.	कर्मचारी का नाम (जाने वाले)	पदस्थापना स्थल (जाने वाले)	कर्मचारी का नाम (आने वाले)	पदस्थापना स्थल (आने वाले)
1.	कृष्ण गुप्ता	बिरसा मुण्डा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय शहडोल म.प्र.	विष्णु देव मिश्रा	गजराराजा चिकित्सा महाविद्यालय ग्वालियर म.प्र।

- पारस्परिक नियुक्ति के आवेदन समान पद के लिए होना चाहिए और ऐसे आवेदन पत्रों पर संबंधित दोनों आवेदकों के हस्ताक्षर होना चाहिए।
- पारस्परिक नियुक्ति के प्रकरणों में निहित दोनों आवेदकों को संबंधित महाविद्यालय में चयन किया जाने की दशा में संबंधित महाविद्यालय ऐसे आवेदकों को नवीन नियुक्ति दे सकेगा।
- नवीन नियुक्ति दिए जाने की दशा में पूर्व महाविद्यालय में की गई सेवा का वेतन संज्ञान लेते हुए चयनित व्यक्ति का वेतन निर्धारित किया जा सकेगा।
- उक्तानुसार वरीयता निर्धारण के लिए नवीन नियुक्ति मानी जाएगी और ऐसी नियुक्ति पालन में महाविद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से वरीयता निर्धारित होगी।
- उपरोक्त अनापत्ति पत्र दोनों आवेदकों द्वारा अपने अपने नवीन कार्यस्थल पर चयनोपरांत कार्यभार ग्रहण करने की स्थिति में ही पूर्ण प्रभावी मात्र्य होगा। दोनों आवेदकों में से एक भी आवेदक द्वारा अपनी नवीन पदस्थापना पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उक्त अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वमेव निरस्त माना जायेगा एवं आवेदकों को अपने मूल नियुक्ति स्थल पर पुनः कार्यभार ग्रहण करना होगा।

(डॉ. मिलिक्क शिरालकर)

मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता

बिरसा मुण्डा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय

शहडोल (म.प्र.)

पृ.क्रमांक/स्था.अराज/एम.सी./2022/.....

शहडोल, दिनांक...../...../2022

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

- मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता चिकित्सा महाविद्यालय, ग्वालियर, की ओर सूचनार्थ ।
- संबंधित की ओर वास्ते सूचनार्थ एवं पालनार्थ ।

।।

(डॉ. मिलिक्क शिरालकर)

मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता

बिरसा मुण्डा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय

शहडोल (म.प्र.)

कार्यालय

मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता

बिरसा मुण्डा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय शहडोल (म.प्र.)

क्रमांक/स्था.अराज/एम.सी./2022/.....

शहडोल, दिनांक...../...../2022

// अनापति प्रमाण पत्र //

बिरसा मुण्डा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय शहडोल ने कार्यस्थ कर्मचारियों से प्राप्त आवेदन पत्रों के आधार पर म.प्र. शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग, अंतर्राष्ट्रीय के पत्र क्रमांक एफ-एफ /2/57/2018/55-1 दिनांक 30 जिलम्बात 2018 में वर्तीत बिन्दु-1 से 4 तक के वियम के अंतर्गत आपसी सहमति से पारस्परिक अदला-बदली के आधार पर नवीन नियुक्ति के लिए आवेदन करने हेतु निम्न शर्त पर अनापति प्रमाण - पत्र निम्नानुसार जारी किया जाता है।

क्र.	कर्मचारी का नाम (जाने वाले)	पदस्थापन स्थल (जाने वाले)	कर्मचारी का नाम (जाने वाले)	पदस्थापन स्थल (आवेदन करने वाले)
1.	कृष्ण गुप्ता	बिरसा मुण्डा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय शहडोल म.प्र.	विष्णु देव मिश्रा	गजराराजा चिकित्सा महाविद्यालय ग्वालियर म.प्र।

- पारस्परिक नियुक्ति के आवेदन समान पद के लिए होना चाहिए और ऐसे आवेदन पत्रों पर संबंधित दोनों आवेदकों के हस्ताक्षर होना चाहिए।
- पारस्परिक नियुक्ति के प्रकरणों में निहित दोनों आवेदकों को संबंधित महाविद्यालय में चयन किया जाने की दशा में संबंधित महाविद्यालय ऐसे आवेदकों को नवीन नियुक्ति दे सकेगा।
- नवीन नियुक्ति दिए जाने की दशा में पूर्व महाविद्यालय में की गई सेवा का वेतन संज्ञान लेते हुए चयनित व्यक्ति का वेतन निर्धारित किया जा सकेगा।
- उक्तानुसार वरीयता निर्धारण के लिए नवीन नियुक्ति मानी जाएगी और ऐसी नियुक्ति पालन में महाविद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से वरीयता निर्धारित होगी।
- उपरोक्त अनापति पत्र दोनों आवेदकों द्वारा अपने अपने नवीन कार्यस्थल पर चयनोपरांत कार्यभार ग्रहण करने की स्थिति में ही पूर्ण प्रभावी मात्रा होगा। दोनों आवेदकों में से एक भी आवेदक द्वारा अपनी नवीन पदस्थापना पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उक्त अनापति प्रमाण पत्र स्वमेव निरस्त माना जायेगा एवं आवेदकों को अपने मूल नियुक्ति स्थल पर पुनः कार्यभार ग्रहण करना होगा।

॥
(डॉ. मिलिंद शिरालकर)

मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
बिरसा मुण्डा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय
शहडोल (म.प्र.)

पृ.क्रमांक/स्था.अराज/एम.सी./2022/..338-340

शहडोल, दिनांक.19./12./2022

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

- मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता चिकित्सा महाविद्यालय, ग्वालियर, की ओर सूचनार्थ ।
- संबंधित की ओर वास्ते सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

(डॉ. मिलिंद शिरालकर)

मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
बिरसा मुण्डा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय
शहडोल (म.प्र.)